मत कैसे दें

वोट देते समय आपके सामने दो विकल्प होते हैं। आप अपनी काउंटी में मतदान स्थल पर जाकर व्यक्तिगत रूप से वोट दे सकते हैं या आप डाक द्वारा वोट दे सकते हैं।

आपको अपने मतपत्र के प्रत्येक चुनाव के लिए वोट देने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा वोट दिए जाने योग्य प्रत्येक चुनाव में आपके वोट की गिनती होगी।

इलेक्शन डे पर मतदान स्थल पर वोट देना

कैलिफोर्निया में इलेक्शन डे पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक मतदान खुला है। कुछ काउंटी इलेक्शन डे से पहले कुछ मतदान स्थलों पर समय से पहले वोटिंग की सुविधा देती हैं। जब आपको इलेक्शन डे से कुछ सप्ताह पहले डाक से अपनी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका मिले तो पुस्तिका के पिछले कवर पर अपना मतदान स्थल देखें। यदि आपको अपनी नमूना मतपत्र पुस्तिका नहीं मिली है तो अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में संपर्क करें। आप *www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm* पर जाकर या सेक्रेटी ऑफ स्टेट की टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फ़ोन करके भी अपने मतदान स्थल का पता हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने मतदान स्थल पर पहुंचते हैं तो एक चुनाव कर्मी आपका नाम पूछेगा और उस मतदान स्थल के पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची देखेगा। सूची में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करने के बाद, चुनाव कर्मी आपको कागज का मतपत्र, विशिष्ट पासकोड, या कंप्यूटर मैमोरी कार्ड देगा जो आपकी काउंटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वोटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है। निजी बूथ पर जाएं और वोटिंग करें। मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया के बारे में सहायता देने के लिए वहां चुनाव कर्मी मौजूद होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि वोट कैसे दिया जाए तो इस बारे में निर्देश देने के लिए चुनाव कर्मी से कहें कि वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किस तरह करना है। राज्य व संघीय कानून यह आवश्यक करते हैं कि सभी मतदाता अपने मतपत्रों को निजी व स्वतंत्र रूप से दे सकें। प्रत्येक मतदान स्थल के लिए कम से कम एक ऐसी वोटिंग मशीन रखना आवश्यक है जो नेत्रहीन या कमजोर दृष्टि वाले लोगों सहित, मतदाताओं को सहायता के बगैर वोट देने का मौका देती है। वोटिंग मशीन से आपको निजी व स्वतंत्र रूप से अपने वोट विकल्पों की जांच करने और यदि इसमें कोई गलती है तो अंतिम वोट देने से पहले इन विकल्पों को ठीक करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

डाक द्वारा वोट देना

यदि आप स्थायी तौर पर डाक द्वारा वोट देने वाले मतदाता (पहले अनुपस्थित मतदाता कहा जाता था) नहीं हैं तो भी आप इस चुनाव में डाक द्वारा वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में डाक द्वारा वोट मतपत्र के लिए एक आवेदन मौजूद रहता है। आपके काउंटी चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा वोट हेतु मतपत्र का अनुरोध करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र में अपने विकल्पों पर निशान लगाने के बाद, अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक लिफाफे में इसे रखें और सीलबंद कर दें। लिफाफे के बाहर उस जगह पर हस्ताक्षर करें जहां इसका निर्देश दिया गया है। आप अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र को इन माध्यमों से वापिस भेज सकते हैं:

- अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में डाक द्वारा भेजकर;
- इलेक्शन डे पर अपनी काउंटी के भीतर किसी भी मतदान स्थल या चुनाव कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से इसे लौटाकर; या
- इलेक्शन डे पर अपनी काउंटी के भीतर किसी भी मतदान स्थल या चुनाव कार्यालय में आपकी ओर से मतपत्र वापिस करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत तीसरे पक्ष (जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोती, भाई, बहन या आपके घर में ही रहने वाला व्यक्ति) को अधिकृत करना।

डाक द्वारा वोट मतपत्र इलेक्शन डे पर काउंटी के चुनाव कार्यालयों में शाम 8 बजे से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, इसलिए अपने डाक द्वारा वोट मतपत्र को इलेक्शन डे से कुछ दिन पहले भेजना सुनिश्चित करें।

चाहे आपको डाक द्वारा वोट मतपत्र प्राप्त हो गया है तब भी आप अपना फैसला बदल सकते हैं और इलेक्शन डे पर अपने मतदान स्थल पर जाकर वोट दे सकते हैं। हालांकि, आपको मतदान स्थल पर अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र लाना चाहिए और इसे मतदात स्थल के मतपत्र से बदलने के लिए चुनाव कर्मी को दे देना चाहिए। यदि आपके पास अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र नहीं है तो आपको अस्थायी मतपत्र पर वोट देने की अनुमति दी जाएगी।

अस्थायी मतपत्र

यदि आपका नाम आपके मतदान स्थल की वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो आपके पास अस्थायी मतपत्र पर उस काउंटी में किसी भी मतदान स्थल पर वोट देने का अधिकार है जिसमें आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं। अस्थायी मतपत्र ऐसे मतपत्र होते हैं जिनपर उन मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है जो:

- मानते हैं कि वे वोट देने के लिए पंजीकृत हैं हालांकि उनके नाम आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में मौजूद नहीं हैं;
- मानते हैं कि आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में उनकी राजनीति पार्टी संबंधी वरीयता गलत सूचीबद्ध की गई है; या
- डाक द्वारा वोट देते हैं लेकिन अपना डाक द्वारा वोट मतपत्र खोज नहीं पाए हैं और अब मतदान स्थल पर वोट देना चाहते हैं।

आपके अस्थायी मतपत्र की गिनती तब की जाएगी जब काउंटी के चुनाव अधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं और आपने उसी चुनाव में किसी अन्य स्थान में वोट नहीं दिया।

तत्काल सहायता मार्गदर्शिका

प्रस्ताव **40** ज़िलों का नया बंटवारा। राज्य के सीनेट ज़िले। जनमत-संग्रह।

सारांश *याचिका के हस्ताक्षरों सहित मतपत्र में शामिल करें*

"हाँ" वोट सिटीज़न्स रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा तैयार किए गए राज्य के नए सीनेट ज़िलों को स्वीकृति देती है, और "नहीं" वोट उन्हें अस्वीकार करती है। यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ज़िलों को कैलिफ़ोर्निया की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में अधिकारियों द्वारा समायोजित किया जाएगा। राजस्व संबंधी प्रभाव: जनमत संग्रह को अनुमति देने से राज्य और स्थानीय सरकारों पर कोई राजस्व संबंधी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनमत संग्रह को अस्वीकार करने के परिणाम-स्वरूप राज्य और काउंटियों को एक बार होने वाला $1 मिलियन का खर्च उठोना होगा।

आपके वोट का क्या मतलब है

हां इस प्रयास पर एक यस वोट का मतलब है: सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा प्रमाणित राज्य सीनेट ज़िलों की सीमाएं उपयोग की जाएंगी।

नहीं इस प्रयास पर एक नो वोट का मतलब है: नए राज्य सीनेट ज़िलों की सीमाएं तय करने के लिए कैलिफोर्निया का सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मास्टर्स को नियुक्त करेगा।

तर्क

पक्ष 40 पर हां करने से मतदाता द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र सिटिजंस रिडिस्ट्रिक्टिंग कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए नए राज्य सीनेट के नक्शों की रक्षा होती है। 40 पर यस वोट देने से कैलिफोर्निया मतदाताओं की राजनीतिज्ञों को नए ज़िले बनाने की प्रक्रिया से दूर रखकर उन्हें जवाबदेह रखने की इच्छा लागू होती है। गुड गवर्नमेंट समूह, वरिष्ठ नागरिक, बिजनेस और करदाता "यस ऑन 40" को स्वीकार करने का सुझाव देते हैं।

विपक्ष प्रस्ताव 40 के प्रायोजक के तौर पर, हमारी मंशा 2012 के लिए कमीशन की राज्य सीनेट ज़िलों के फैसले को उलट देना था। हालांकि राज्य के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से जिसने 2012 के लिए इन ज़िलों का प्रावधान लागू रखा, हमने अपना अभियान रोक दिया और अब इस पर नो वोट नहीं चाहते हैं।

अतिरिक्त सूचना के लिए

पक्ष
40 पर हां
राजनेताओं को जवाबदेह ठहराएं
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

विपक्ष
FAIRDISTRICTS2012.com

इनके लिए सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट देखें:

- अभियान अंशदान और लॉबिंग गतिविधि पर शोध करने *http://cal-access.sos.ca.gov*
- अन्य भाषाओं में मतदाता मार्गदर्शिकाएं देखने के लिए *www.voterguide.sos.ca.gov*
- अपना मतदान स्थल खोजें *www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm*
- डाक द्वारा वोट मतपत्र की सूचना पाएं *www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm*
- पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के लिए सहायक सूचना *www.sos.ca.gov/elections/new-voter*
- इलेक्शन डे पर चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव परिणाम लाईव देखें *http://vote.sos.ca.gov*

मतपत्र की बहसों के बारे में

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट मतपत्र में मौजूद तर्क नहीं लिखता है। मतपत्र प्रयासों के पक्ष व विपक्ष में तर्क मतपत्र प्रयासों के समर्थकों व विरोधियों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रस्तुत किए गए तर्कों की भाषा को सटीकता के लिए सत्यापित या किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है जब तक न्यायालय आदेश न हो कि भाषा को बदला जाए।

अपने वोटिंग अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस मार्गदर्शिका के पृष्ठ 143 को देखें।

कैलिफोर्निया में चुनाव

1 जनवरी, 2011 से प्रभावी, द् टॉप टू कैंडिडेट्स ओपन प्राईमरी एक्ट के अनुसार यह आवश्यक है कि मतदाता-नामांकित पद के सभी उम्मीदवार एक ही मतपत्र पर सूचीबद्ध किए जाएं। पहले जिन्हें पार्टीगत पद के नाम से जाना जाता था, ऐसे मतदाता-नामांकित पद हैं राज्य विधायिका पद, यू.एस.कॉन्ग्रेस के पद और राज्य संवैधानिक पद। सर्वाधिक मत पाने वाले केवल दो उम्मीदवार—पार्टी वरीयता पर ध्यान दिए बगैर—आम चुनाव के लिए, कुल मतों पर ध्यान दिए बगैर आगे जाते हैं।

मतदाता-नामांकित पदों के लिए केवल राईट-इन (मतदाता द्वारा मतपत्र में नामांकित उम्मीदवार) उम्मीदवार ही प्राथमिक चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राईट-इन उम्मीदवार आम चुनाव में केवल तभी आगे जा सकता है जबकि वह प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार है। इसके अतिरिक्त, आम चुनाव के लिए स्वतंत्र नामांकन प्रक्रिया नहीं है।

कैलिफोर्निया का नया ओपन प्राईमरी सिस्टम अमेरिकी राष्ट्रपति, काउंटी की केंद्रीय समिति या स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता है।

कैलिफोर्निया कानून आवश्यक करते हैं कि इस गाइड में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाए।

पार्टी-नामांकित पद/पार्टीगत पद

राजनीतिक पार्टियां प्राथमिक चुनाव में पार्टी-नामांकित पदों/पार्टीगत पदों के लिए पहले से ही उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती है। कोई नामांकित उम्मीदवार आम चुनाव में किसी खास पद के लिए उस पार्टी का उसके आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा और मतपत्र में आधिकारिक स्थिति दर्शाई जाएगी। प्राथमिक चुनाव में प्रत्येक पार्टी के सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार आम चुनाव में चले जाते हैं। पार्टियां प्राथमिक चुनाव में भी काउंटी की केंद्रीय समिति के अधिकारी चुनती हैं।

कोई मतदाता केवल तभी किसी राजनीतिक पार्टी के प्राथमिक चुनाव में मत दे सकता है यदि उसने मत के लिए पंजीकृत होते समय ऐसी वरीयता प्रकट की है। हालांकि, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस पार्टी के प्राथमिक चुनाव में मत देने की अनुमति दी जा सकती है जिसने पार्टी वरीयता प्रकट करने से मना कर दिया है।

मतदाता द्वारा नामांकित पद

प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पदों के लिए उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नामांकित करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को नहीं है। प्राथमिक चुनाव में मतदाता-नामांकित पद के लिए नामांकित होने वाला उम्मीदवार, लोगों द्वारा नामांकित होता है और आम चुनाव में किसी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के समान नहीं होता है। मतदाता-नामांकित पद के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास उसकी पार्टी वरीयता होगी, या पार्टी वरीयता नहीं होगी जो मतपत्र पर उल्लेखित की जाएगी, लेकिन पार्टी वरीयता स्थिति एकमात्र रूप से केवल उम्मीदवार द्वारा चुनी जाएगी और केवल मतदाताओं की सूचना के लिए दर्शाई जाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि उम्मीदवार नामित पार्टी द्वारा नामांकित किया गया है या उसके द्वारा समर्थित है, या पार्टी और उम्मीदवार के बीच कोई संबंध है, और मतदाताओं द्वारा नामांकित कोई उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक रूप से नामांकित उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। काउंटी नमूना मतपत्र पुस्तिका में, मतदाता-नामांकित पदों के लिए पार्टियां उन उम्मीदवारों की सूची दे सकती है जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन प्राप्त हुआ है।

मतदाता-नामांकित पद के लिए कोई भी मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है यदि वह उस पद के लिए वोट देने हेतु अन्य योग्यताओं को पूरा करता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार मतदाता-नामांकित पद के लिए आम चुनाव में चले जाते हैं चाहे दोनों उम्मीदवारों ने एक ही पार्टी वरीयता स्थिति दर्शाई हो। किसी भी पार्टी को इसकी पार्टी वरीयता स्थिति वाले उम्मीदवार को आम चुनाव में भेजने का अधिकार नहीं है जब तक कि उम्मीदवार प्राथमिक चुनाव में इसके दो सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों में से एक नहीं होता है।

गैर पार्टीगत पद

राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिक चुनाव में गैर पार्टीगत पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने का अधिकार नहीं है और प्राथमिक चुनाव का कोई उम्मीदवार, आम चुनाव में किसी खास पद के लिए किसी भी पार्टी का आधिकारिक नामांकित व्यक्ति नहीं होता है। गैर पार्टीगत पद के नामांकन के लिए कोई उम्मीदवार मतपत्र पर अपनी पार्टी वरीयता, या पार्टी वरीयता की कमी निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। प्राथमिक चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले दो उम्मीदवार गैर पार्टीगत पद के लिए होने वाले आम चुनाव में चले जाते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार

कैलिफोर्निया इलेक्शंस कोड की धारा 9084 के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार संबंधी सूचना कैलिफोर्निया के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। अधिक विवरण के लिए *www.voterguide.sos.ca.gov* पर जाएं।

विधायिका व कॉन्ग्रेस के उम्मीदवार

इस मतदाता गाइड में मतपत्र संबंधी राज्यव्यापी उपायों व यू.एस. सीनेट के उम्मीदवारों के बारे में सूचना शामिल है। स्टेट सीनेट, असेंबली और यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के प्रत्येक पद का संबंध केवल एक या कुछ काउंटी के मतदाताओं से होता है इसलिए इन पदों के लिए कुछ उम्मीदवारों के विवरण आपकी काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उपलब्ध हो सकते हैं।

कैलिफोर्निया कानून में राज्य विधायिका (स्टेट लेजिस्लेटिव) पद (संघीय पद नहीं जैसे कि यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और यू.एस. सीनेट) के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए स्वैच्छिक व्यय सीमा शामिल है। विधायिका पद के उम्मीदवार जो अपने अभियान को निर्दिष्ट डॉलर राशि के भीतर रखने का विकल्प चुनते हैं, काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिकाओं में उम्मीदवार विवरण के लिए 250 शब्दों तक का स्थान खरीद सकते हैं।

स्टेट सीनेट के उम्मीदवार जिन्होंने अपने अभियान का व्यय सीमित रखने की स्वैच्छिक सहमति दी है वे आम चुनाव में $1,169,000 अमेरिकी डॉलर से कम खर्च कर सकते हैं। असेंबली के उम्मीदवार जिन्होंने अपने अभियान का व्यय सीमित रखने की स्वैच्छिक सहमति दी है वे आम चुनाव में $909,000 अमेरिकी डॉलर से कम खर्च कर सकते हैं।

कैलिफोर्निया की स्वैच्छिक अभियान व्यय सीमा स्वीकार करने वाले विधायिका के उम्मीदवारों की सूची देखने के लिए, *www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm* पर जाएं।

यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के सभी उम्मीदवारों के पास काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उम्मीदवार विवरण हेतु स्थान खरीदने का विकल्प होता है। (यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के कुछ उम्मीदवार काउंटी की नमूना मतपत्र पुस्तिका में उम्मीदवार विवरण हेतु स्थान खरीदने का विकल्प नहीं चुनते हैं।)

कैलिफोर्निया की स्वैच्छिक अभियान व्यय सीमा यू.एस.सीनेट सहित, संघीय पदों के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होती है। इसलिए, यू.एस.सीनेट के सभी उम्मीदवारों के पास इस मतदाता गाइड में उम्मीदवार विवरण के लिए स्थान खरीदने का विकल्प मौजूद रहता है। (यू.एस.सीनेट के कुछ उम्मीदवार, उम्मीदवार विवरण के लिए स्थान खरीदने का विकल्प नहीं चुनते हैं।)

यू.एस.सीनेट के उम्मीदवार हैं:

- Dianne Feinstein
- Elizabeth Emken

सभी नामांकित उम्मीदवारों की सूची के लिए, *www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm* पर जाएं।

बड़े अक्षरों में प्रकाशित सामग्री व ऑडियो वोटर गाइड

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका (वोटर इन्फोरमेशन गाइड) के बड़े अक्षरों में प्रकाशित, ऑडियो कैसेट या कॉम्पैक्ट डिस्क संस्करण का आदेश देने के लिए, *www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions* पर जाएं या सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की टोलफ्री वोटर हॉटलाइन (888) 345-2692 पर फोन करें।

आधिकारिक मतदाता जानकारी मार्गदर्शिका के डाउनलोड करने योग्य ऑडियो एमपी3 संस्करण के लिए, *www.voterguide.sos.ca.gov/audio* पर जाएं।

पैसे कमाएं और अंतर लाएं...
इलेक्शन डे पर चुनाव कर्मी के तौर पर काम करें!

हमारे लोकतंत्र के साधनों के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव लेने के अलावा, चुनाव कर्मी इलेक्शन डे पर उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त धन भी कमा सकते हैं। चुनाव कर्मी बनने के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में संपर्क करें या (888) 345-2692 पर फोन करें।

मतदाता पंजीकरण

अपनी मतदाता पंजीकरण सूचना को नवीनीकृत कराने के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपको अपना मतदाता पंजीकरण नवीनीकृत कराना चाहिए यदि आपका घर का पता बदला है, आपका डाक पता बदला है, आपका नाम बदला है या आप राजनीतिक पार्टी वरीयता को बदलना या चुनना चाहते हैं।

ध्यान दें: यदि आप अपने नए पते पर 22 अक्टूबर, 2012 के बाद गए हैं तो आप अपने पहले वाले मतदान स्थल पर मतदान कर सकते हैं।

मतदान के लिए पंजीकरण कराना आसान और निशुल्क है। पंजीकरण फॉर्म *www.sos.ca.gov* पर ऑनलाइन और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, शहर व काउंटी के सरकारी कार्यालयों और कैलिफोर्निया के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

वोट देने के लिए पंजीकरण कराने हेतु आपको अमेरिकी नागरिक, कैलिफोर्निया का निवासी, इलेक्शन डे पर कम से कम 18 वर्ष आयु का होना चाहिए, कैद में या काउंटी जेल में ("निम्न स्तरीय" आपराधिक कृत्य के लिए राज्य जेल में सजा या एक वर्ष से अधिक अवधि की सजा) या पेरोल पर, रिहाई के बाद सामुदायिक निगरानी में, या आपराधिक कृत्य के लिए सजा सुनाने के बाद प्रोबेशन अवधि में नहीं होना चाहिए, और न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अक्षम घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

मतदाता पहचान संबंधी राज्य व संघीय आवश्यकताएं

अधिकांश मामलों में, कैलिफोर्निया के मतदाताओं के लिए वोट देने से पहले पहचान दिखाना आवश्यक नहीं होता है। यदि आप डाक द्वारा अपना पंजीकरण कराने के बाद पहली बार वोट दे रहे हैं और आपने पंजीकरण कार्ड पर अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर, कैलिफोर्निया पहचान संख्या या आपके सोशल सिक्योरटी नंबर के अंतिम चार अंक प्रदान नहीं किए हैं तो आपको किसी प्रकार की पहचान दिखाने के लिए कहा जा सकता है जब आप वोट देने जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप मतदान के लिए अपने साथ पहचान संबंधी दस्तावेज लाएं या अपने डाक द्वारा वोट के मतपत्र के साथ इसकी एक प्रति संलग्न करें। नीचे पहचान के 30 से अधिक स्वीकार्य स्वरूपों में से कुछ की आंशिक सूची दी गई है। आप सेक्रेट्री ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां *www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm* पर "हेल्प अमेरिका वोट एक्ट आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड" को देख सकते हैं।

- ड्राईवर लाइसेंस या राज्य द्वारा जारी आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- कर्मचारी आईडी कार्ड
- क्रेडिट या डेबिट कार्ड
- मिलिट्री आईडी
- छात्र आईडी